अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6--7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला--नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 12/2024

वादीगण–

1. जगदीश पुत्र घमण्डाराम
2. पप्पूराम पुत्र घमण्डाराम
3. रेखाराम पुत्र घमण्डाराम
   जातियान–गुर्जर, निवासीगण–काशीपुरा, तहसील– जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गोपालराम पुत्र गणपतराम
2. पांचूड़ी पत्नि घमण्डाराम
3. सुगना पुत्री घमण्डाराम
4. मन्जु पुत्री घमण्डाराम
   जातियान–गुर्जर, निवासी–काशीपुरा, तहसील–जायल, नागौर।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा काशीपुरा सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 39 व 79 की भूमि के मुतदाविया खेतायों का वादीगण संख्या 1 से 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंटवाड़ा माफिक वाद पत्र किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 जगदीश के हक वंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा काशीपुरा का खेत खसरा नंबर 376/1423 रकबा 2.5900 हैक्टेयर में से 0.8634 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 पप्पूराम के हक वंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा काशीपुरा का खेत खसरा नंबर 376/1423 रकबा 2.5900 हैक्टेयर में से 0.8633 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. वादी संख्या 3 रेखाराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा काशीपुरा का खेत खसरा नंबर 376/1423 रकबा 2.5900 हैक्टेयर में से 0.8633 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा काशीपुरा का खेत खसरा नंबर 377/1423 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा माफिक नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 1417 रकबा 1.6916 हैक्टेयर यथावत् रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये नियमानुसार राज हक में स्टाम्प शुल्क अदा किये जाने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)
7. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। ववक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.07.2024 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner